हो वैवाहिक सम्बन्धों को प्रोत्साहन मिलता है।

जनजातियों में विवाह के प्रकार
(FORMS OF MARRIAGE IN TRIBAL SOCIETY)

पति व पत्नी की संख्या के आधार पर मानवशास्त्रियों ने विवाह के तीन प्रकारों अथवा स्वरूपों का उल्लेख किया है—एकविवाह (monogamy), बहुपत्नी विवाह (polygyny), तथा बहुपति विवाह (polyandry)। 'एक-विवाह' की प्रथा सभी समाजों का एक नैतिक मापदण्ड बना हुआ है, जबकि 'बहुपत्नी विवाह' औद्योगिक युग के पहले तक संसार के सभी समाजों में किसी न किसी रूप में अवश्य पाये जाते थे। जनजातीय समाज की यह विशेषता है कि इन दोनों स्वरूपों के अतिरिक्त यहाँ 'बहुपति विवाह' का भी प्रचलन पाया जाता है,

जिसकी साधारणतया सभ्य समाजों में कल्पना भी नहीं की जा सकती। कुछ मानवशास्त्रियों ने विवाह के एक अन्य रूप 'समूह विवाह' (group marriage) का भी उल्लेख किया है, लेकिन व्यवहार में विवाह का यह रूप अब सम्भवतः कहीं भी प्राप्य नहीं है। भारत की विभिन्न जनजातियों में विवाह के जो स्वरूप आज भी कम या अधिक मात्रा में प्रचलित हैं, उनका वर्गीकरण निम्नांकित रूप से किया जा सकता है :

विवाह के प्रकार

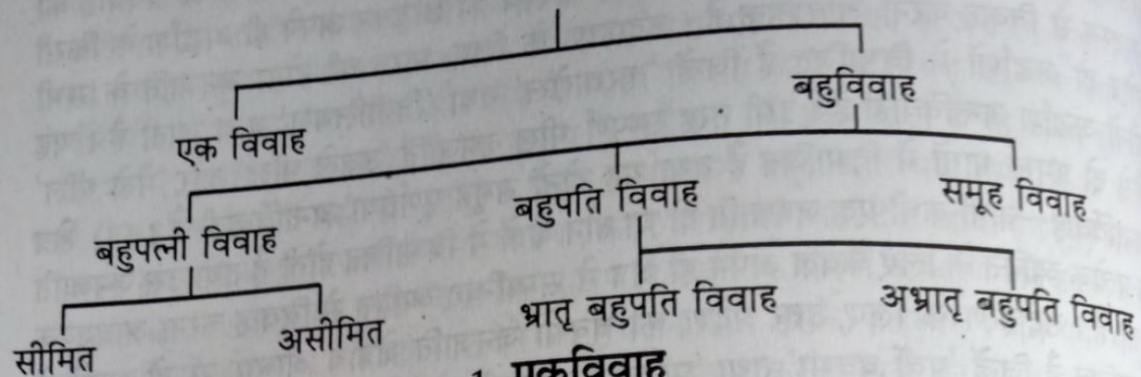

1. एकविवाह
(MONOGAMY)

एकविवाह पारिवारिक जीवन का सर्वोत्तम आधार है। वेस्टरमार्क का तो यहाँ तक मत है कि परिवार की उत्पत्ति एकविवाह के नियम से ही आरम्भ हुई। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक '*The History of Human Marriage*' में आपने यह स्पष्ट किया है कि विवाह के अन्य सभी स्वरूप सामाजिक नियमों का एक अस्थायी उल्लंघन मात्र हैं। एक सर्वव्यापी नियम के रूप में यदि सभी सभ्य और जनजातीय समाजों में विवाह की कोई प्रथा स्थायी रही है, तब वह एकविवाह की ही प्रथा है। एकविवाह वह नियम है जिसके अन्तर्गत एक जीवन-साथी के जीवित रहते हुए कोई स्त्री अथवा पुरुष दूसरा विवाह नहीं कर सकता। भारत की अधिकांश जनजातियों में विवाह का यही नियम पाया जाता है। **एकविवाह के कारण** अथवा परिस्थितियों को निम्नांकित रूप से समझा जा सकता है :

(1) प्रत्येक समाज में स्त्री और पुरुषों का अनुपात लगभग बराबर ही होता है। यदि प्रत्येक स्त्री और पुरुष को एक से अधिक विवाह करने की अनुमति दे दी जाये तब इसका अर्थ यह होगा कि कुछ व्यक्तियों को एक जीवन-साथी भी उपलब्ध नहीं हो सकेगा।[1]

(2) एकविवाह के अतिरिक्त विवाह के अन्य सभी स्वरूपों के अन्तर्गत व्यक्तियों के मानसिक और संवेगात्मक तनाव (emotional tensions) इतने अधिक बढ़ सकते हैं कि जनजातीय समाज को अपना संगठन बनाये रखना कठिन हो जायेगा।

(3) कुछ जनजातियों में कन्या-मूल्य (bride price) का आधिक्य होने के कारण भी एकविवाह का प्रचलन पाया जाता है, क्योंकि एक व्यक्ति अनेक पत्नियाँ रखकर सभी की कीमत कठिनता से ही चुका सकता है।

(4) प्रत्येक परिवार अपने सदस्यों के बीच संघर्षों की मात्रा को कम करने का प्रयत्न करता है। इस उद्देश्य की पूर्ति एकविवाह द्वारा ही हो सकती है।

(5) जनजातीय समाज में बहुत समय तक बहुपति और बहुपत्नी विवाह का प्रचलन बने रहने के कारण उनकी पारिवारिक समस्याओं में इतनी वृद्धि हो गयी कि उनके निराकरण के लिए एकविवाह को उपयोगी नियम के रूप में देखा जाने लगा।

(6) सभ्य समाजों के सम्पर्क में आने के कारण भी जनजातियों में एकविवाह का प्रचलन तेजी से बढ़ता जा रहा है।

उपर्युक्त कारणों के आधार पर बील्स और हॉइजर (Beals and Hoijer) का कथन है कि जो जनजातीय समाज बहुपति विवाही अथवा बहुपत्नी विवाही हैं, वहाँ भी एकविवाह का नियम ही अधिक प्रभावपूर्ण रहता है क्योंकि उनके समाज के अधिकांश व्यक्तियों की क्षमता अथवा साधनों की मात्रा इतनी नहीं होती कि वे एक से अधिक जीवन-साथी का भार उठा सकें।

लाभ (Merits)—(1) विवाह के सभी स्वरूपों में एकविवाह सबसे अधिक न्यायपूर्ण ही नहीं है बल्कि इसमें स्त्री-पुरुष के पारस्परिक अधिकार भी सबसे अधिक सुरक्षित रहते हैं। (2) एकविवाह से बनने वाले परिवार अधिक स्थायी होते हैं क्योंकि उनमें संघर्ष होने की सम्भावना बहुत कम रह जाती है। (3) साथ ही ऐसे परिवारों में बच्चों की देख-रेख, शिक्षा और अनुशासन का भी सबसे अच्छा प्रबन्ध सम्भव हो पाता है। (4) इन विवाहों के द्वारा समाज में स्त्रियों को उच्च सामाजिक स्थिति प्राप्त होती है। ऐसा इस कारण है कि विवाह से सम्बन्धित दोनों पक्षों को एक-दूसरे को समझने का काफी अवसर मिल जाता है। (5) एकविवाह ने मानसिक स्थिरता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसका कारण यह है कि एकविवाह से ही जीवन-स्तर में सुधार हो पाता है और व्यक्ति अपने साधनों और आवश्यकताओं के बीच सन्तुलन स्थापित कर पाता है।

हानियाँ (Demerits)—यद्यपि एकविवाह अनेक गुणों से युक्त है लेकिन तो भी कुछ विचारकों का कहना है कि एकविवाह के कारण समाज में अनैतिकता सम्बन्धी दोष उत्पन्न हो जाते हैं। इसका कारण यह है कि व्यक्ति को अपना जीवन कठोर संयम में बिताना कठिन महसूस होता है। इसके परिणामस्वरूप समाज में यौनिक अपराधों में वृद्धि होने लगती है। यह भी कहा जाता है कि एकविवाह एकाधिकारी व्यवस्था के समान है और इसमें स्त्रियों का शोषण होने की सम्भावना अधिक होती है। वास्तविकता यह है कि एकविवाह की यह आलोचनाएँ उचित नहीं हैं। यह प्रमाणित हो चुका है कि विवाह की सभी पद्धतियों में केवल एकविवाह ही ऐसी पद्धति है जिससे वैयक्तिक और सामाजिक जीवन अधिक संगठित बन सका है।

(2) बहुपत्नी विवाह
(POLYGYNY)

बहुपत्नी विवाह वह प्रथा है जिसके अनुसार एक पुरुष को अपनी पहली पत्नी के जीवित रहते हुए भी अन्य स्त्रियों से विवाह करने की अनुमति होती है। भारत की अधिकांश जनजातियाँ क्योंकि एक कठिन और संघर्षमय प्राकृतिक पर्यावरण में रहकर जीविका उपार्जित करती हैं, इसलिए विवाह की इस प्रथा का प्रचलन उनमें कम ही पाया जाता है। सामान्यतया जिन जनजातियों में बहुपत्नी विवाह प्रचलित हैं, वहाँ जनजाति के कुछ प्रमुख व्यक्ति ही एक से अधिक पत्नियाँ रखते हैं क्योंकि उनके लिए एकाधिक पत्नियों को रखना सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक होता है। उदाहरण के लिए, भारत में नागा, बैगा, गोंड और लुशाई जनजातियों में बहुपत्नी विवाह का प्रचलन है। इन जातियों के सभी वर्गों अथवा गोत्र समूहों में बहुपत्नी विवाह का प्रचलन नहीं है, बल्कि एक या दो वर्गों में ही यह प्रथा पायी जाती है। कुछ समय पहले तक जौनसार बाबर की खस जनजाति, नैनीताल की थारू जनजाति और नीलगिरि पहाड़ियों की टोडा जनजाति भी बहुपत्नी विवाही थीं, लेकिन सभ्य समाजों के सम्पर्क में आने के कारण ये जनजातियाँ भी एकविवाही होती जा रही हैं। छोटा नागपुर की 'हो' जनजाति में बहुपत्नी

विवाह इसलिए समाप्त हो रहा है क्योंकि वे एक से अधिक पत्नियों के लिए 'कन्या-मूल्य' देने की स्थिति में नहीं हैं।

सभी जनजातियों में बहुपत्नी विवाह की प्रथा का रूप समान नहीं होता। कुछ समाजों में बहुपत्नी विवाह की मान्यता पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं होता (unrestricted polygyny), अर्थात् उस समाज में सभी सदस्यों को बहुपत्नी विवाह करने का अधिकार मिल जाता है। इसके विपरीत, कुछ समाजों में बहुपत्नी विवाह का अधिकार कुछ शर्तों के साथ ही प्राप्त होता है (conditional polygyny)। इसका तात्पर्य है कि यह अधिकार उन्हीं व्यक्तियों को मिलता है जो धनाढ्य हों अथवा जिनकी सामाजिक स्थिति काफी ऊँची हो। उदाहरण के लिए, पूर्वी अफ्रीका की एक जनजाति बगण्डा (Baganda) में राजा से लेकर एक सामान्य व्यक्ति तक सभी को एक से अधिक पत्नियाँ रखने का अधिकार है, जबकि भारत की बैगा जनजातियों में केवल कुछ गोत्रों के व्यक्तियों को ही बहुपत्नी विवाह का अधिकार दिया जाता है। बहुपत्नी विवाह का एक अन्य रूप वह है जिसे **एकपक्षीय बहुपत्नी विवाह** (bigamy) कहते हैं।[1] इसमें एक पुरुष अनेक स्त्रियों से विवाह तो कर सकता है लेकिन सभी पत्नियाँ आपस में एक-दूसरे की बहिनें होती हैं। इसके विपरीत स्वरूप को **स्वतन्त्र बहुपत्नी विवाह** (polygyny) कहा जा सकता है जिसमें एक पुरुष की अनेक पत्नियों के बीच किसी प्रकार का सम्बन्ध होना आवश्यक नहीं होता।

बहुपत्नी विवाह के कारण (Causes of Polygyny)

(1) बहुपत्नी विवाह का सबसे प्रमुख कारण किसी जनजाति में स्त्रियों की अपेक्षा **पुरुषों के अनुपात में कमी** होना है। बील्स और हॉइजर ने इस सन्दर्भ में पूर्वी अफ्रीका में रहने वाली जनजाति बगण्डा (Baganda) का उदाहरण दिया है जहाँ स्त्रियों की संख्या पुरुषों से तीन गुना अधिक होने के कारण वहाँ बहुपत्नी विवाह अधिक मात्रा में पाये जाते हैं।[2] भारत में स्त्री-पुरुषों के अनुपात में इतनी विभिन्नता किसी भी जनजाति में नहीं है और इसलिए भारतीय जनजातियों के सन्दर्भ में इस कारण को प्रधानता नहीं दी जा सकती।

(2) बहुपत्नी विवाह का कारण कुछ जनजातियों में एक विशेष प्रकार का भोजन करने के कारण अधिक काम-वासना का होना है। यदि ऐसी जनजातियों में स्त्रियों की कमी होती है, तब भी वह अन्य समूहों पर आक्रमण करके वहाँ से स्त्रियों को छीनने का प्रयास करते हैं। असम के नागाओं में बहुपत्नी विवाह का सम्भवतः यही सबसे प्रमुख कारण है।

(3) कुछ जनजातियों का जीवन **अत्यधिक संघर्षपूर्ण** होने के कारण, एक से अधिक पत्नियों को रखना इसलिए अच्छा समझा जाता है जिससे कृषि अथवा अन्य आर्थिक कार्यों में उन्हें विश्वसनीय सहयोगी मिल सके। त्रिपुरा और मनीपुर की लुशाई जनजाति में एक से अधिक स्त्रियों से विवाह करके उनके बीच श्रम-विभाजन कर देना इस तथ्य का उदाहरण है।

(4) पुरुष में नवीनता की इच्छा और एक पत्नी द्वारा सन्तान न होने पर दूसरी पत्नी द्वारा इच्छित सन्तान को जन्म देने की इच्छा भी बहुपत्नी विवाह का कारण है।

(5) कभी-कभी अधिक पत्नियों को व्यक्ति की **सामाजिक प्रतिष्ठा** का भी आधार समझा जाता है। इससे भी बहुपत्नी प्रथा को प्रोत्साहन मिलता है।

(6) कुछ जनजातियों का **भौगोलिक पर्यावरण** इस प्रकार का है कि स्त्रियों में कम आयु में ही यौनिक इच्छा समाप्त हो जाती है। इसके अतिरिक्त स्त्रियों की गर्भ-धारण सम्बन्धी निर्योग्यता के कारण भी पुरुष दूसरे विवाह को उपयोगी प्रथा के रूप में देखते हैं।

1. G. D. Mitchell, ...

बहुपत्नी विवाह के परिणाम (Consequences of Polygyny)

अन्य संस्थाओं के समान बहुपत्नी विवाह के परिणाम भी एकपक्षीय नहीं हैं। कुछ क्षेत्रों में इससे जनजातीय समाज को लाभ हुआ है, जबकि अनेक क्षेत्रों में इसने पारिवारिक और सामाजिक संघर्षों को जन्म दिया है। इसके प्रमुख गुणों और दोषों को इस प्रकार समझा जा सकता है :

(क) गुण (Merits)—बहुपत्नी विवाह के गुण जैविकीय और आर्थिक क्षेत्र में स्पष्ट किये जाते हैं—(1) इसके कारण जनजाति में अच्छे गुणों की सन्तानों की संख्या में वृद्धि होती है क्योंकि सामान्यतः वही व्यक्ति बहुपत्नी विवाह करने की स्थिति में होते हैं जो समूह के उच्च पदों पर आसीन हों अथवा जिनकी आर्थिक स्थिति अपेक्षाकृत सुदृढ़ होती है, (2) परिवार में अनेक स्त्रियाँ होने से बच्चों का पालन-पोषण अधिक अच्छी तरह किया जा सकता है, (3) श्रम-विभाजन में सहायता मिलती है जिससे प्राकृतिक संघर्षों का सामना करने में पुरुष अधिक क्षमतावान हो जाता है, तथा (4) पुरुष की नवीनता की इच्छा तथा काम-वासना की तृप्ति परिवार के अन्दर ही हो जाती है जिससे उनके समूह में अनैतिकता अथवा व्यभिचार बढ़ने की सम्भावना कम रह जाती है।

(ख) दोष (Demerits)—इस प्रथा के दोष विशेषकर पारिवारिक और सामाजिक क्षेत्र में देखे जा सकते हैं—(1) इसके परिणामस्वरूप समाज में स्त्रियों की स्थिति में अत्यधिक ह्रास होता है जिससे बच्चों के व्यक्तित्व का समुचित विकास नहीं हो पाता। (2) ऐसे परिवार अधिकतर कलह, ईर्ष्या और मतभेद के केन्द्र होते हैं क्योंकि सभी पत्नियाँ पुरुष पर अपना एकाधिकार रखने का प्रयत्न करती हैं। (3) यदि उचित रूप से स्त्रियों पर नियन्त्रण नहीं रखा जाता है तब पुरुष का जीवन ही विघटित हो जाता है। अन्त में, (4) बहुपत्नी विवाही परिवारों की आर्थिक स्थिति सदैव बिगड़ने का डर रहता है क्योंकि ऐसे परिवारों में बच्चों की संख्या अधिक और आर्थिक साधनों की मात्रा सीमित ही होती है। यही कारण है कि बहुपत्नी विवाहों की संख्या निरन्तर कम होती जा रही है।